राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 45/06–07

विषयः– श्री युगल प्रसाद, सेवानिवृत कर्मचारी, नगर परिषद्, बिहार शरीफ, नालन्दा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

09.11.2006 लोक सूचना पदाधिकारी, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को आवेदन की छाया–प्रति संलग्न कर दिनांक 30.11.06 तक कंडिकावार प्रतिवेदन की मांग करें तथा सुनवाई की तिथि 04.12.06 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उन्हें सुनवाई हेतु संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित रहने का निदेश दें तथा आवेदक को भी सूचना दें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.12.2006 लोक सूचना पदाधिकारी, नगर विकास विभाग एवं आवेदक उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान ऐसा पाया गया कि आवेदक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी (सचिव, नगर विकास विभाग) के यहाँ वगैर अपील दायर किये सीधे आयोग में आ गये हैं। अतएव आवेदक के आवेदन पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास विभाग को निस्तार करने के लिए भेजा जाय। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त